राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 980/2014.....जिला.....जयपुर.....

उनवान–मैसर्स कनाट प्लाजा रेस्टोरेन्ट प्रा.लि., गौरव टॉवर–II, जयपुर बनाम् सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, जोन–प्रथम, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.06.2014	**खण्डपीठ** **श्री जे.आर.लोहिया, सदस्य** **श्री मदन लाल, सदस्य** अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से उक्त अपील अपीलीय प्राधिकारी–प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.06.2014, जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है तथा जिसमें सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, संभाग–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 के तहत् निर्धारण वर्ष **2013–14 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 20.05.2014** के जरिये कायम की गयी मांग राशि ₹34,85,102/– के विरूद्ध प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने को विवादित कर, सुनवायी के दौरान, ₹12,51,062/– की वसूली पर रोक लगाई जाने की प्रार्थना की गई। अपीलार्थी के अभिभाषक श्री पंकज घीया, एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री एन.के.बैद बहस हेतु दिनांक 18.06.2014 को उपस्थित हुये । उभयपक्षीय बहस सुनी जाकर रोक आवेदन पत्र पर निर्णय पारित किया जा रहा है । अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अपीलीय अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार करने के आदेश में किसी प्रकार के कारणों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अग्रिम अभिवाक् किया कि अपीलार्थी व्यवहारी का आलोच्य अवधि को मूल निर्धारण आदेश नियमित निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 23 के तहत् पारित किया जाकर बहीयात में अंकित संव्यवहारों के प्रकाश में, निर्धारण आदेश पारित कर, तद्नुसार मांग राशि कायम की गयी थी। **पुनः प्रतिकरापवंचन के अधिकारियों द्वारा अविधिक रूप से क्षेत्राधिकार ग्रहण कर, विवादाधीन निर्धारण आदेश पारित कर,** मांग राशियां कायम की गयी है जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है । विशिष्ट रूप से कथन किया कि किसी भी व्यवहारी के एक ही निर्धारण अवधि के दो भिन्न–भिन्न निर्धारण अधिकारी नहीं हो सकते एवम् प्रतिकरापवंचन के अधिकारियों द्वारा इस संबंध में क्षेत्राधिकार विहिन होने के कारण कायम की गयी मांग राशि विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है । अपने उक्त तर्क के समर्थन में **(2002) 3 टैक्स अपडेट 320, 9 टैक्स अपडेट 40,** माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **46 एस.टी.सी. 470, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी. सेल्स टैक्स रिविजन पिटीशन कमांक 73/2011 निर्णय दिनांक 13.12.2013** को प्रोद्धरित कर, निर्धारण अधिकारी द्वारा ग्रहण किया गया क्षेत्राधिकार विधिशून्य होने के कारण कायम की गयी मांग राशियां अविधिक एवम् अनुचित हैं। विशिष्ट रूप से गुणावगुण पर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा जरिये इन्वॉयसेज के सर्विस टैक्स के नियमों के अनुसार केता से सर्विस टैक्स के रूप में उस खाद्य व पेय पदार्थ की राशि पर सर्विस टैक्स के प्रावधानान्तर्गत केवल सर्विस राशि के अनुमानित आधार पर ही कर वसूल किया गया है जिसे अधिनियम की धारा 2(36) के तहत् विक्रय मूल्य का भाग नहीं माना जा सकता । कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी लगातार.....2	

19.06.2014

द्वारा नियमानुसार सर्विस टैक्स वसूल कर, भारत सरकार के वित्त अधिनियम 1994 की धारा 73 के तहत् केन्द्र सरकार के राजकोष में जमा करवा दिया गया है । इस संबंध में विशिष्ट रूप से भारत सरकार के वित्त अधिनियम, 1994 की धारा पाठ (Chapter)–5 की धारा 65 के सब–क्लॉज 105 को संदर्भित कर, कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा खाद्य व पेय पदार्थ की राशि के तहत् सर्विस टैक्स वसूल कर, धारा 66 के तहत् नियमानुसार तय सीमा के तहत् उक्त का भुगतान केन्द्र सरकार के राजकोष में किया गया है । विशिष्ट रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत को प्रोद्धरित कर कथन किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1980 46 एस.टी.सी 477 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि ".....Where some tax is charged in pursuance of some statutory obligation by a seller who has to pass on the same as such to the statutory authority it will not form part of "sale price" and that is why the Hon'ble Supreme Court held that mandi tax which is being collected by the seller on behalf of the mandi committee is being passed on to the mandi committee, as such will not form part of the sale price, but the commission (dami) which the seller is collecting as per the rules made by the mandi committee is retained by the seller himself, as such the same will form part of the sale price" कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा भी अपने ग्राहकों से सर्विस टैक्स वसूल कर, नियमानुसार तय सीमा में केन्द्र सरकार के राजकोष में जमा करवाया गया है जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांत के आलोक में, अधिनियम की धारा 2(36) के तहत् विक्रय का भाग माना जाकर, कर, ब्याज व शास्ति की मांग राशियां कायम करना विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अग्रिम अभिवाक् किया कि अधिनियम की धारा 2(36) के अनुसार अपीलार्थी द्वारा माल के विक्रय उपरांत सर्विस प्रदान की जाती है जो कि विक्रय मूल्य का भाग नहीं है । कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी भी सर्विस टैक्स वसूल करने हेतु केवल एक माध्यम मात्र है । अतः प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों के आलोक में, प्रकरण व सुविधा संतुलन प्रथम दृष्ट्या, अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होना प्रकट किया जाकर, वसूली योग्य मांग राशियों पर रोक लगाने की प्रार्थना की गयी अन्यथा अपीलार्थी व्यवहारी को अपूरणीय क्षति होने का तर्क दिया गया ।

विभागीय प्रतिनिधि द्वारा निर्धारण अधिकारी एवम् अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, **माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा समान बिन्दुओं पर अपील संख्या 871, 872, 873, 874 व 875/2014/जयपुर निर्णय दिनांक 04.06.2014** को प्रोद्धरित कर, कथन किया कि उक्त निर्णय के जरिये समान बिन्दुओं पर कर बोर्ड द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के रोक आवेदन पत्रों को अस्वीकार किया गया है । अतः उक्त न्यायिक दृष्टांत के आलोक में, हस्तगत प्रकरण में भी बकाया वसूली पर रोक नहीं लगाने की प्रार्थना की गयी ।

उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया। अपीलीय आदेश व अपील आधारों का अवलोकन किया गया । अधिनियम की धारा 2(36) अनुसार अधिनियम के तहत् उद्ग्रहित वैट के अतिरिक्त सभी प्रकार की विधिक वसूली (Statutory levy) को विक्रय मूल्य का भाग निहित किया गया है । इस संबंध में विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रोद्धरित **कर बोर्ड की समन्वय पीठ (खण्डपीठ) द्वारा अपील संख्या 871, 872, 873, 874 व 875/2014/जयपुर निर्णय दिनांक 04.06.2014** के अवलोकन के पश्चात् यह पीठ यह अवधारित करती है कि समान बिन्दुओं पर कर बोर्ड की समन्वय पीठ द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्रों को अस्वीकार किया गया है । अतः उक्त न्यायिक दृष्टांत के आलोक में, अपीलार्थी

लगातार.....3

19.06.2014

व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाता हैं । इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति की तिथि से आगामी तीन माह में अपीलों का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें ।

निर्णय सुनाया गया ।

(मदन लाल) 19.6.2014
सदस्य

(जे.आर.लोहिया)
सदस्य
19/06/14